समाहरणालय, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी
(जिला स्थापना शाखा)
पत्रांक 358..... / स्था0 दिनांक 12/07/14.....

प्रेषक,

जिला पदाधिकारी,
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

सेवा में,

पुलिस अधीक्षक, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।
असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।
कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।
जिला शिक्षा पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।
जिला भविष्य निधि पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।
जिला पशुपालन पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।
जिला कृषि पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।
कोषागार पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।
अधीक्षक उत्पाद, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।
जिला सहकारिता पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।
समादेष्टा गृह रक्षा वाहिनी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।
कारा अधीक्षक, केन्द्रीय कारा, मोतिहारी।
सभी कार्य विभाग के कार्यपालक अभियंता, जल संसाधन / राष्ट्रीय उच्च पथ / भवन / अभियंत्रण संगठन / पथ लोक निर्माण विभाग / लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमंडल / नलकूप प्रमंडल / रूपांकन प्रमंडल।
समाहरणालय के सभी कार्यालय प्रधान।
सभी अनुमंडल पदाधिकारी / सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी / सभी अंचलाधिकारी, पूर्वी चम्पारण।

विषयः– **31 जुलाई–2014 को सेवानिवृत होने वाले सरकारी सेवकों के सेवान्त लाभ के भुगतान के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि सरकार के निदेशानुसार सरकारी सेवकों को सेवानिवृति तिथि को ही पेंशन एवं अन्य सेवान्त लाभ का भुगतान करने का प्रावधान संसूचित है। ऐसी स्थिति में दिनांक–31 जुलाई–2014 को आपके कार्यालय में सेवानिवृत होने वाले कर्मियों को कार्यालय स्तर पर देय सेवान्त लाभ के भुगतान से संबंधित सभी तैयारिया सुनिश्चित की जाय, ताकि सेवानिवृति तिथि को ही सेवान्त लाभ का भुगतान किया जा सकें।

आपसे अनुरोध है कि माह जुलाई–2014 में सेवानिवृत होने वाले कर्मियों की सूची दिनांक 15.07.2014 तक निश्चित रूप से जिला स्थापना शाखा को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। साथ ही दिनांक–25.07.2014 तक सेवान्त लाभ भुगतान के संदर्भ में की गई कार्रवाई का प्रतिवेदन भी भेजना सुनिश्चित करें।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि दिनांक–31.07.2014 को अपराह्न 3:00 बजे समाहरणालय परिसर स्थित राधाकृष्णन भवन में सेवानिवृत होने वाले कर्मी एवं उनके सेवान्त लाभ के भुगतान से संबंधित आदेश / कोषागार में विपत्र प्रस्तुत करने के प्रमाण–पत्र के साथ उपस्थित होना सुनिश्चित किया जाय।

इसमें किसी भी प्रकार के शिथिलता को गम्भीरता से लिया जायेगा।

विश्वासभाजन

15/7

जिला पदाधिकारी,
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।